बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन शाखा)
--: वापसी अधिसूचना :--

संख्या-- 15/डी०एल०ए०कटिहार(रेल)-01/05 - 2862/रा० दिनांक-- 11 -12 -13

चूँकि बिहार सरकार को यह आदेश हुआ है कि ग्राम बगडार थाना नं० 387 थाना कदवा, परगना कदवा, जिला कटिहार में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात ग्राम बगडार में बड़ी रेल लाईन आमान परिवर्तन के लिए सरकारी खर्च पर 0.24 एकड़ (चौबिस डिसमल) सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित नहीं है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम बगडार के भीतर 0.24 एकड़ भूमि अपेक्षित नहीं है, जो मानक माप के कमोवेश वी०/क०/धूर है, जो 0.24 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा सं० निम्नांकित है, को भू–अर्जन अधिनियम की धारा 48(1) के तहत अर्जन से विमुक्त किया जाता है। मौजा बगडार, थाना नं० 387, खेसरा सं० 637,638,639,644,669,670 का अंश है, इस भू--खण्ड की चौहद्दी निम्न प्रकार है :--

उत्तर :--	मौजा बगडार थाना नं० 387 के अन्तर्गत वर्तमान रेल खण्ड।
दक्षिण :--	मौजा बगडार थाना नं० 387 का सर्वे खेसरा नं० 637,638,639,644,669, एवं 670 का अंश।
पूरब :--	मौजा बगडार थाना नं० 387 एवं मौजा मदनपुर का संयुक्त सीमा रेखा।
पश्चिम :--	मौजा बगडार थाना नं० 387 का खेसरा नं० 670 का अंश एवं 671 पूर्ण।

यह अधिसूचना अधिनियम 1–1894 (बिहार अधिनियम 2 1961 द्वारा मात्र संशोधित) की धारा --48 (1) के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो।

उक्त भूमि का नक्सा भू--अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकता है और चूँकि बिहार राज्यपाल का राय है कि कुल 0.24 एकड़ भूमि कृषि योग्य है तथा अर्जन आवश्यक नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०

सरकार के अवर सचिव

जिला भू० अर्जन पदाधिकारी कटिहार

अपर समाहर्त्ता कटिहार

समाहर्त्ता कटिहार

ज्ञापांक -2862/रा०/भू--अर्जन दिनांक -11 -12 -13

प्रतिलिपि:--	निदेशक,भू -अर्जन, निदेशालय बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :--	आयुक्त के सचिव पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:--	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनोपरान्त प्रकाशन सूचना जिला भू--अर्जन कटिहार को दी जाय।
प्रतिलिपि:--	उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट प्रशाखा, कटिहार को गजट के असाधारण अंक में प्रका–शनोपरान्त 5--5 प्रति कार्यालय का उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:-	अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई/अंचल पदाधिकारी, आजमनगर/मुखिया ग्राम पंचायत राज बगडार को सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:--	अधियाची विभाग को सूचनार्थ।
प्रतिलिपि:--	हितबद्ध रैयतों को सूचनार्थ प्रेषित।

9/12/13

सरकार के अवर सचिव